

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2024/685,

दिनांक:- 26/02/24

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-अलवर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, जयपुर की अनुशंसा के आधार पर वृत्त अलवर के अंतर्गत आने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं के अधिशेष आवास/फ्लैटों को महत्वपूर्ण सम्पत्तियां (Premium Property) के तहत ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास/फ्लैट संख्या	कुल
1.	सेक्टर-4 व 7, भिवाड़ी	MIG-B	7/71	01
2.	सेक्टर-4 व 7, भिवाड़ी	HIG	7/222	01
3.	बाड़ी रोड योजना, धौलपुर	MIG-A	5/37	01
4.	बाड़ी रोड योजना, धौलपुर	MIG-B	2/408, 2/430, 2/435	03
5.	सी.ई.बी. योजना, अलवर	MIG-A	5-ख-50	01
6.	सी.ई.बी. योजना, अलवर	HIG	1-क-29	01
7.	एस.डब्ल्यू.बी. योजना, अलवर	MIG-B Flat (G+1)	1-MB-2, 1-MB-7, 1-MB-8	03
8.	एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर	MIG-A (G+3) Flat	7B/M1/SF/10, 7C/M1/SF/11, 7D/M1/SF/11, 7E/M1/SF/11, 7F/M1/SF/11, 7B/M1/TF/14, 7D/M1/TF/14, 7D/M1/TF/15, 7E/M1/TF/15, 7E/M1/TF/16, 7F/M1/TF/13	11
			Total	22

उपरोक्त वर्णित 22 फ्लैटों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, जयपुर द्वारा की गई अनुशंसा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नीलामी से (बिना छूट) निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


- आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय, द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/ आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लग्नित नहीं है।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों को अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जाए।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिकवाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का संबंधित पत्रावली पर पैरा संख्या 11/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता. खण्ड-अलवर/भिवाडी/भरतपुर, राजस्थान आवासन मण्डल.....
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभासी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक